

चीफ वार्डन कार्यालय
एन० आई० टी० कुरुक्षेत्र

पत्र क्रमांक CW/VK/2023/160 LA

दिनांक 02-08-2023

मैसर्स

निविदा सूचना

एन० आई० टी० कुरुक्षेत्र के विभिन्न छात्रावासों के लिए चावल की सीलबंद निविदा निम्नलिखित शर्तों के साथ रजिस्टर्ड विक्रेताओं से आमंत्रित की जाती है। सभी निविदा (टैंडर) मुहरबन्द लिफाफों में दिनांक 10/08/23 तक चीफ वार्डन कार्यालय एन० आई० टी० कुरुक्षेत्र में रजिस्टर्ड पोस्ट के द्वारा पहुंच जानी चाहिए। इस सम्बन्ध में फर्म विक्रेता को निम्नलिखित शर्तों का पालन करना होगा:-

| Sr. No | Particular | Bag Packaging (Kg) | Per kg Price (Rs.) | Brand Name |
|--------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1 | 1121(Basmati) Golden Sella Super Tibar | | | |
| 2 | Basmati 1121 full length | | | |
| 3 | Basmati 1121 Dubar | | | |
| 4 | Basmati 1121 Tibar | | | |
| 5 | Basmati 1121 Mogra | | | |
| 6 | Rice Kinki | | | |

1. चावल की गुणवत्ता तथा उसके न्यूनतम मूल्यों के आधार पर चावल खरीदने का चयन किया जाएगा।
2. चावल की गुणवत्ता उसके स्वाद अनुसार विभिन्न छात्रावासों में विद्यार्थियों द्वारा निर्धारित की जाएगी।
3. चावल की गुणवत्ता एफ.एस.एस.ए.आई. (FSSAI) द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।
4. चावल की लोडिंग और अनलोडिंग की जिम्मेदारी विक्रेता फर्म की होगी।
5. चावल का मूल्य सभी कर सहित आपको 6 महीने के लिए देना है।
6. चावल की गुणवत्ता में कभी भी कोई कमी पाई गई तो विक्रेता फर्म को दिया हुआ सामान वापस लेकर पुनः चयनित गुणवत्ता का चावल छात्रावास को देना होगा उसके बदले में विक्रेता फर्म कोई भी पैसा नहीं दिया जाएगा।
7. चावल की गुणवत्ता में कमी से सम्बंधित कोई भी शिकायत छात्रावासों द्वारा पुनः आती है तो विक्रेता फर्म का चयन निरस्त कर दिया जाएगा। और उस फर्म को भविष्य की निविदा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।
8. चावल की आपूर्ति आपको एन० आई० टी० छात्रावासों में करनी होगी।
9. यदि चयनित विक्रेता फर्म चावल की सप्लाई करने में असमर्थ है तो उसे कम से कम एक महीने पहले नोटिस देना होगा।
10. सभी आवेदकों को अपने आवेदनो के साथ घोषणा पत्र में यही लिखना होगा कि उन्हें टैंडर की सभी शर्तें मान्य हैं अन्यथा उनके आवेदन टैंडर निरस्त किए जा सकते हैं।
11. सभी मामलों में चीफ वार्डन एन० आई० टी० कुरुक्षेत्र का निर्णय अन्तिम एवम मान्य होगा। किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार चीफ वार्डन के पास होगा।

Prof. D. C. C. N.

Rajesh
चीफ वार्डन
एन० आई० टी० कुरुक्षेत्र